Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding grant of bail to alleged accused persons in Mumbai, Maharashtra.-Laid

श्री गोपाल शेट्टी (**मुम्बई उत्तर**): देश में एक सामान्य व्यक्ति से लेकर प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीर धाराएं लगाए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें जमानत इत्यादि में न केवल अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक अपव्यय भी हो रहा है । देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ही आज की स्थिति के अनुसार 5 हजार से अधिक जमानत से संबंधित मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं । इस संदर्भ में, मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा 11 जुलाई, 2022 में दिए गए उस जजमेंट की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से किमिनल केसों में आरोपियों की जमानत पर रिहाई को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने पर विचार किए जाने हेतु कहा है ।

यह भी अत्यधिक चिंता का विषय है कि पुलिस द्वारा लोगों के ऊपर जो गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उनमें एक लम्बी कानूनी प्रक्रिया के 10-15 वर्षों बाद दोषी निर्दोष साबित होकर न्यायालय से इज्जत बरी होकर निकल जाते हैं । लेकिन, बाहर आकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है । ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के अनुसार किमिनल केसों में आरोपियों की जमानत पर रिहाई को सरल बनाए जाने हेतु नया कानून बनाने और इसमें ऐसे मामलों में, जिनमें पुलिस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हो पाते हैं, उनमें संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए दण्डात्मक प्रावधान किए जाएं । दूसरा, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि देश में विशेषकर मुंबई महानगर में जमानत से संबंधित लंबित वादों की संख्या में निरंतर वृद्धि को

दृष्टिगत रखते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर रियायत देते हुए लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाए ।